न्यूज़ टुडे

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) ने साइबरस्पेस ऑपरेशन्स और एंफीबियस ऑपरेशन्स के लिए संयुक्त सिद्धांत जारी किए

इन सिद्धांतों को सार्वजनिक करना यह दिखाता है कि भारत संयुक्त युद्ध संचालन की अवधारणाओं को ज़्यादा स्पष्ट, सुलभ और व्यापक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

- ये कदम सशस्त्र सेनाओं में **अधिक संयुक्तता और एकीकरण** की दिशा में भारत के प्रयासों को मजबूत करते हैं।

साइबरस्पेस ऑपरेशन्स के लिए संयुक्त सिद्धांत

- इसमें राष्ट्रीय साइबरस्पेस हितों की रक्षा के लिए **एकीकृत दृष्टिकोण** की रूपरेखा दी गई है।
- इसका उद्देश्य **थल सेना, नौसेना और वायुसेना** में समन्वित ऑपरेशन्स को सक्षम करने के लिए **आक्रामक एवं रक्षात्मक साइबर क्षमताओं को एकीकृत** करना है।
- **इसमें निम्नलिखित को भी मुख्य रूप से शामिल किया गया है:**
  - खतरे के आधार पर योजना बनाना,
  - रेसिलिएंस का निर्माण करना,
  - रियल-टाइम खुफिया जानकारी का उपयोग करना और
  - संयुक्त साइबर क्षमताओं का विकास करना।

एंफीबियस ऑपरेशन्स के लिए संयुक्त सिद्धांत

- यह इंटरऑपरेबिलिटी और त्वरित कार्रवाई पर जोर देते हुए **नौसेना, वायु सेना एवं थल सेनाओं को एकीकृत करके एंफीबियस ऑपरेशन्स** का मार्गदर्शन करता है।
- यह **संस्करण 2008 के संस्करण को संशोधित** करता है, जो इसे बदलते भू-रणनीतिक परिवेश और उन्नत क्षमताओं के अनुरूप सक्षम बनाता है।
- संतुलित एंफीबियस क्षमता **खतरों को रोकती है** तथा शांति काल के दौरान **बचाव मिशन (Evacuation Missions) और मानवीय सहायता एवं आपदा राहत (HADR) कार्यों** में मदद करती है।

इसके अलावा, CDS ने विविध नए सिद्धांतों का विकास भी शुरू किया है, जैसे:

- सैन्य अंतरिक्ष ऑपरेशन्स,
- स्पेशल फ़ोर्स ऑपरेशन्स,
- एयरबोर्न/ हेलीबोर्न ऑपरेशन्स,
- इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स व मल्टी डोमेन ऑपरेशन्स आदि।

संयुक्तता (Jointness) और एकीकरण (Integration) के बारे में

- **संयुक्तता:** सशस्त्र बलों की **संयुक्तता** का अर्थ है, तीनों सेनाओं की विशिष्टता का सम्मान करते हुए **संसाधनों का समन्वित उपयोग** करना। इससे **सर्वोत्तम परिणाम** प्राप्त होंगे और कार्यों के दोहराव से बचा जा सकेगा।
- **संयुक्तता और एकीकरण के लिए की गई पहलें**
  - ऑपरेशनल तत्परता को बढ़ावा देने के लिए **इंटीग्रेटेड थियेटर कमांड्स (ITCs) और इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स (IBGs)** का प्रस्ताव किया गया है।
  - **सैन्य कार्य विभाग (DMA)** की स्थापना 2020 में की गई थी। **चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ** इस विभाग का **सचिव** होता है। इसका उद्देश्य संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना और तीनों सेनाओं में संयुक्तता को बढ़ाना है।
  - **तीनों सेनाओं के बीच लॉजिस्टिक्स संबंधी एकीकरण** के लिए 2021 से **मुंबई, गुवाहाटी और पोर्ट ब्लेयर में तीन जॉइंट लॉजिस्टिक नोड्स (JLNs)** स्थापित किए गए हैं और ये काम कर रहे हैं।
  - **अंतर-सेवा संगठन (कमान, नियंत्रण और अनुशासन) नियम, 2025** जारी किए गए हैं।

RBI ने एक दशक में पहली बार किसी बैंक को यूनिवर्सल लाइसेंस प्रदान किया

यह लाइसेंस **AU स्मॉल फाइनेंस बैंक** को दिया गया है। RBI ने **AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को एक लघु वित्त बैंक (SFB) से यूनिवर्सल बैंक** में बदलने के लिए 'सैद्धांतिक' मंजूरी दी है।

- यह एक ऐसा लाइसेंस है, जो किसी बैंक को **व्यावसायिक और निवेश बैंकिंग सहित सभी प्रकार की बैंकिंग सेवाएं एक ही मंच पर** उपलब्ध कराने की अनुमति देता है।
- इससे पहले **2014 में बंधन बैंक और IDFC बैंक (जो बाद में IDFC फर्स्ट बैंक बना)** को यह लाइसेंस मिला था।

स्मॉल फाइनेंस बैंक से यूनिवर्सल बैंक में बदलने के लिए पात्रता मानदंड

- **स्थिति:** कम-से-कम **5 वर्षों से अनुसूचित बैंक** का दर्जा होना चाहिए।
- **स्टॉक लिस्टिंग:** बैंक के शेयर किसी **मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज** पर सूचीबद्ध होने चाहिए।
- **नेट वर्थ:** बैंक की न्यूनतम नेट वर्थ **1,000 करोड़** रुपये होनी चाहिए।
- **वित्तीय स्थिति**
  - **लाभप्रदता:** पिछले **दो वित्त वर्षों में बैंक को निवल लाभ** हुआ होना चाहिए।
  - **परिसंपत्ति गुणवत्ता:** पिछले **दो वित्त वर्षों में सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (G-NPA) और निवल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (N-NPA) क्रमशः 3% व 1% से कम या बराबर** होनी चाहिए।
- **प्रमोटर संबंधी शर्तें:** इस बदलाव के दौरान **किसी भी नए प्रमोटर को जोड़ा नहीं** जाएगा और **न ही मौजूदा प्रमोटर्स में कोई बदलाव** किया जाएगा।
- **प्राथमिकता: विविध ऋण पोर्टफोलियो** वाले स्मॉल फाइनेंस बैंक को प्राथमिकता दी जाएगी।

स्मॉल फाइनेंस बैंक (SFB) के बारे में

- **उत्पत्ति:** 2014-15 के **केंद्रीय बजट** में इसकी घोषणा की गई थी।
- **उद्देश्य:** वित्तीय समावेशन।
- **पंजीकरण:** यह **कंपनी अधिनियम, 2013** के तहत एक **पब्लिक लिमिटेड कंपनी** के रूप में पंजीकृत होता है।
- **लाइसेंस और विनियमन:** इसकी लाइसेंसिंग और विनियमन **बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949** के तहत किया जाता है।
- **पूंजी की आवश्यकता:** 200 करोड़ रुपये (कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए अपवाद हो सकता है)।
- **पात्र प्रमोटर्स: बैंकिंग और वित्त में 10 साल का अनुभव** रखने वाले भारतीय निवासी व्यक्ति/ पेशेवर।

कोयला, खान और इस्पात संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने 'स्टील स्क्रैप रीसाइक्लिंग नीति' (SSRP) पर रिपोर्ट जारी की

इस्पात मंत्रालय ने SSRP को 2019 में अधिसूचित किया था, जिसके मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- **सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देना:** 6Rs {कम करना (Reduce), पुन: उपयोग करना, (Reuse) पुनर्चक्रण करना (Recycle), पुनर्प्राप्त करना (Recover), पुनः डिजाइन करना (Redesign) और पुनः निर्माण करना (Remanufacture)} रणनीति को अपनाना।
- उपयोग अवधि पूरी कर चुके उत्पादों के लिए औपचारिक एवं वैज्ञानिक **संग्रह, डिस्मेंटल और प्रसंस्करण** गतिविधियों को प्रोत्साहन देना। ऐसे उत्पाद पुनर्चक्रण योग्य लौह, अलौह एवं धात्विक कबाड़ के स्रोत होते हैं।
- **विघटन एवं कतरन** (Shredding) इकाइयों से उत्पन्न कचरे और अवशेषों के निपटान हेतु तंत्र का निर्माण करना।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

प्रकट किए गए मुद्दे	संबंधित सिफारिशें
इस्पात स्क्रैप क्षेत्रक पर **व्यापक डेटा बेस का अभाव**	**स्टील स्क्रैप** का एक मजबूत डेटाबेस विकसित करना चाहिए। उत्पादन, उपयोग, नीतियों, कार्यक्रमों और लाभों पर अपडेटेड डेटा के साथ एक **समर्पित पोर्टल** बनाना चाहिए और उसका रखरखाव करना चाहिए। अन्य देशों के साथ तुलनात्मक आंकड़े भी शामिल करने चाहिए।
स्टील स्क्रैप मामलों के लिए **नामित नोडल मंत्रालय का अभाव**	**इस्पात मंत्रालय को नोडल एजेंसी** बनाना चाहिए। इसके द्वारा स्टील स्क्रैप से संबंधित सभी डेटा (राज्यवार, क्षेत्रवार, आयात व निर्यात) एकत्रित, संकलित, अपडेट और साझा किए जाने चाहिए।
औपचारिक स्क्रैप बाजारों का अभाव	**अनौपचारिक स्क्रैप क्षेत्रक को औपचारिक** बनाने के लिए रोडमैप को लागू करना चाहिए। आर्थिक और सामाजिक लाभ के लिए **कबाड़ियों और डिस्मेंटल करने वालों को सहकारी समितियों** में संगठित करना चाहिए।
स्टील स्क्रैप रीसाइक्लिंग क्षेत्रक को **उद्योग का दर्जा न मिलना**	घरेलू/ विदेशी निवेश को आकर्षित करने, रोजगार सृजन करने तथा कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए स्क्रैप रीसाइक्लिंग क्षेत्रक को **'उद्योग का दर्जा'** प्रदान करना चाहिए।
स्क्रैप कार्यबल के लिए **कौशल विकास और प्रमाणन का अभाव**	राष्ट्रीय कौशल विकास निगम **(NSDC)** द्वारा **कबाड़ प्रबंधन पर प्रमाणन कोर्स** शुरू किया जाना चाहिए। औपचारिक क्षेत्रक की भविष्य की आवश्यकताओं के लिए **कार्यबल और उद्यमियों को प्रशिक्षित** करना चाहिए।
स्क्रैप प्रसंस्करण केंद्रों में **अप्रचलित प्रौद्योगिकी का उपयोग**	इन केंद्रों को **(गैर-राजकोषीय) प्रोत्साहन** देकर आधुनिक तकनीकों को अपनाने हेतु प्रेरित किया जाना चाहिए, जैसे: AI-संचालित ऑप्टिकल सेंसर। कबाड़ ट्रेसेब्लिटी के लिए ब्लॉकचेन। इस्पात मिलों को कबाड़ संग्राहकों से जोड़ने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म, आदि।

ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने PMGSY पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) सन 2000 में शुरू की गई थी। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है।

- इसका उद्देश्य विविध चरणों (PMGSY-I, II, III और IV) के माध्यम से **ग्रामीण बस्तियों को बारहमासी सड़क संपर्क** प्रदान करना है ।
- PMGSY-IV **को वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक** क्रियान्वित किया जाएगा।
- **वित्त-पोषण:** 60% केंद्र द्वारा व 40% राज्य सरकारों द्वारा।

रिपोर्ट में रेखांकित मुख्य समस्याएं और सिफारिशें

समस्याएं	चुनौतियां	सिफारिशें
बोली की कम राशि	ठेकेदार अक्सर **न्यूनतम लागत से 25-30% कम की बोली** लगाते हैं, जिससे परियोजना की गुणवत्ता को लेकर चिंताएं बढ़ जाती हैं।	कम राशि वाली बोली रोकने के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट जैसी व्यवस्था को अपनाना चाहिए और गुणवत्ता का आकलन करना चाहिए।
सड़कों के निर्माण की गुणवत्ता	कई स्थानों पर **सड़कों के निर्माण में उपयोग की गई सड़क निर्माण सामग्री की गुणवत्ता खराब पाई गई है, जो मौसम की कठोरता और यातायात के दबाव को सहन करने में सक्षम नहीं है।**	राज्य सरकारों को उनकी स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों और परिवहन संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर **सड़क की चौड़ाई एवं डिजाइन बदलने की छूट** देनी चाहिए। भारी वाहनों के लिए PMGSY सड़क की मोटाई **20 मिमी से बढ़ाकर 30 मिमी** करनी चाहिए।
परियोजना में देरी	**वामपंथी उग्रवाद (LWE) क्षेत्रों** में कार्य की प्रगति धीमी है। **भूमि संबंधी मंजूरी, धनराशि जारी न होने** जैसे मुद्दों के कारण परियोजना के पूरा होने में देरी हो रही है। इसके परिणामस्वरूप लागत में वृद्धि हुई है।	देरी को रोकने के लिए **केन्द्र-राज्य समन्वय में सुधार** करना चाहिए तथा **मंजूरी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित** करना चाहिए।
पुराना सर्वेक्षण डेटा	PMGSY-IV सर्वेक्षण **2011 की जनगणना पर आधारित है,** जिससे संभवतः वर्तमान आवश्यकताओं की वास्तविक स्थिति का पता नहीं चलता है।	PMGSY-IV के अंतर्गत सड़क सर्वेक्षण को **जनसंख्या के नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों या अंतरिम आकलन के आधार पर संशोधित** किया जाना चाहिए।
अधूरी कनेक्टिविटी	सड़कें कभी-कभी **केवल गांवों की परिधि तक ही पहुंच पाती हैं,** तथा वास्तविक बस्तियों को जोड़ने में असफल रहती हैं।	**वास्तविक लाभार्थियों की पहचान** करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सड़कें सबसे अधिक जरूरतमंद क्षेत्रों में उचित रूप से निर्मित की जाएं।

प्रधान मंत्री ने एम.एस. स्वामीनाथन के 100वें जन्मोत्सव पर 'एम. एस. स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन' का उद्घाटन किया

इस सम्मेलन की थीम "**सदाबहार क्रांति, जैव-खुशहाली का मार्ग**" है। यह थीम प्रोफेसर स्वामीनाथन के खाद्य सुरक्षा के प्रति आजीवन समर्पण को दर्शाती है।

एम.एस. स्वामीनाथन के बारे में (1925 - 2023)

- **प्रमुख सम्मान**
  - 1971 में **रेमन मैग्सेसे पुरस्कार**,
  - पहला **विश्व खाद्य पुरस्कार** (1987),
  - 1994 में **UNEP का सासाकावा पर्यावरण पुरस्कार**,
  - 1999 में **यूनेस्को गांधी स्वर्ण पदक**,
  - मरणोपरांत **भारत रत्न** (2024), आदि।
- वे **योजना आयोग** (1980-82) के सदस्य थे। उन्होंने **संयुक्त राष्ट्र के विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी आयोग** की अध्यक्षता की थी। वे **फिलीपींस में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान** के महानिदेशक रहे थे। वे **एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन** (MSSRF) के संस्थापक भी रहे हैं।

एम.एस. स्वामीनाथन के प्रमुख योगदान

- **उच्च-उपज वाली किस्मों का विकास**
  - **1950 के दशक में:** उन्होंने **पाला-प्रतिरोधी आलू की किस्में विकसित** की थी। **नाज़ुक इंडिका चावल का मजबूत जापोनिका किस्म** के साथ संकरण करके अधिक उपज देने वाली **चावल की किस्में** तैयार की थी।
  - **1963 में:** उन्होंने **नॉर्मन बोरलॉग** के साथ मिलकर एक **ब्रीडिंग कार्यक्रम** शुरू किया था। इसके तहत **गेहूं में बौनेपन के जीन** डालकर छोटे दाने वाली, मजबूत व अधिक उपज देने वाली किस्म विकसित की थी।
- **भारत में हरित क्रांति के जनक (1960 के दशक में शुरू हुई):** इसके तहत उन्होंने उन्नत ब्रीडिंग और आधुनिक तकनीकों को अपनाकर **खाद्य उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित** किया था।
- **'फसल कैफेटेरिया' की अवधारणा:** इसमें अलग-अलग प्रकार की फसलों को एक साथ उगाया जाता है। इससे **संतुलित आहार और बेहतर पोषण प्राप्त** करने में मदद मिलती है।
- **'फसल वितरण कृषि विज्ञान' का दृष्टिकोण:** यह नया दृष्टिकोण निश्चित फसल कार्यक्रम की बजाय **उपज और खाद्य गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए फसल चयन एवं रोपण में मध्य-मौसम समायोजन** की अनुमति देता है।
- **राष्ट्रीय किसान आयोग की अध्यक्षता:** उन्होंने किसानों के लिए "**स्वामीनाथन रिपोर्ट**" तैयार की थी। इसमें भारत में कृषि प्रणालियों की **उत्पादकता, लाभप्रदता और संधारणीयता** को बढ़ाने के तरीकों पर सुझाव दिए गए थे।

सदाबहार क्रांति के बारे में

- **अवधारणा:** यह अवधारणा **एम.एस. स्वामीनाथन** ने दी थी। उन्होंने इसे **बिना पारिस्थितिक नुकसान के उत्पादकता को सतत रूप से बढ़ाने** के रूप में परिभाषित किया था।
- **मुख्य घटक:**
  - **जैविक कृषि और हरित कृषि को बढ़ावा:** इसमें एकीकृत कीट प्रबंधन, एकीकृत पोषक तत्व आपूर्ति और एकीकृत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन शामिल है।
  - **ग्राम ज्ञान केंद्र:** फसल, पशुपालन आदि पर समय और स्थान विशेष की जानकारी प्रदान करना।
  - **जैव-ग्राम:** प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रबंधन और कृषि एवं गैर-कृषि आजीविका पर ध्यान केंद्रित करना।
- **फोकस:** सामाजिक, आर्थिक और लैंगिक समानता पर बल देना।

अन्य सुर्खियां

एड वेलोरम ड्यूटी

संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत पर 25 **प्रतिशत रेसिप्रोकल टैरिफ** के अलावा 25 प्रतिशत की '**एड वेलोरम ड्यूटी**' लगाने की घोषणा की है।

- **एड वेलोरम**' लैटिन शब्दावली है जिसका अर्थ है '**मूल्य के अनुसार**'।
- 'एड वेलोरम' वह शुल्क है जो **आयातित वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य के प्रतिशत के रूप में** लगाया जाता है, न कि उनके वजन या इकाइयों की संख्या के आधार पर।

अवाज़ा प्रोग्राम ऑफ एक्शन (APOA) 2024-2034

तीसरा '**संयुक्त राष्ट्र-स्थलरुद्ध विकासशील देशों का सम्मेलन** (LLDC-3)' **तुर्कमेनिस्तान के अवाज़ा** में शुरू हुआ।

- यह सम्मेलन हाल ही में अपनाए गए **अवाज़ा प्रोग्राम ऑफ एक्शन** (APoA) को लागू करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करेगा।

अवाज़ा प्रोग्राम ऑफ एक्शन (APOA) के बारे में

- **इसे दिसंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा** में सर्वसम्मति से अपनाया गया था।
  - यह स्थलरुद्ध विकासशील देशों (LLDCs) के समक्ष विकास संबंधी चिरकालिक चुनौतियों से निपटने के लिए एक **व्यापक फ्रेमवर्क प्रदान करता है।**
- **इस प्रोग्राम ऑफ एक्शन में निम्नलिखित शामिल हैं:**
  - खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए **क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्रों** की स्थापना।
  - आवश्यक वित्त-पोषण जुटाने के लिए **अवसंरचना निवेश वित्त सुविधा का शुभारंभ**।
  - **व्यापार और क्लाइमेट रेजिलिएंस** को बढ़ावा देने के लिए UNFCCC वार्ता फोरम की स्थापना।

लाइकेन

पश्चिमी घाट में **लाइकेन की एक नई प्रजाति "एलोग्राफा इफ्यूसोरेडिका"** (Allographa effusosoredica) की खोज की गई है।

लाइकेन के बारे में

- लाइकेन वास्तव में कोई एकल जीव नहीं है बल्कि **दो घटकों की सहजीवी संरचना है।** इनमें एक कवक (**माइकोबायोंट**) और कम से कम एक **प्रकाश-संश्लेषक सजीव (फोटोबायोंट)** शामिल होते हैं।
  - फोटोबायोंट में **सूक्ष्म शैवाल (आमतौर पर एक हरा शैवाल)** या **साइनोबैक्टेरियम**, या **दोनों शामिल** होते हैं।
- लाइकेन औषधियों, इत्र, खाद्य पदार्थों, रंजक, जीवों पर पर्यावरण रसायन की निगरानी और अन्य उपयोगी यौगिकों के **स्रोत के रूप में बहुत उपयोगी होते हैं।**
- ये चट्टानों या पत्थरों की सतह पर उगते हैं और **मृदा के निर्माण में योगदान करते हैं** ।
- इनका उपयोग **वायु प्रदूषण का पता लगाने के लिए बायो-मॉनिटर के रूप में** किया जाता है।

तटीय पोत परिवहन विधेयक

संसद ने भारत की **तटीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा** देने के लिए **तटीय पोत परिवहन विधेयक, 2025** को पारित कर दिया।

- यह विधेयक **केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री** द्वारा प्रस्तुत किया गया।
- इसका उद्देश्य **विदेशी जहाजों पर भारत की निर्भरता को कम करना** है।

तटीय पोत परिवहन विधेयक, 2025 के मुख्य प्रावधान

- **यह तटीय पोत परिवहन से जुड़े कानूनी फ्रेमवर्क को सरल और आधुनिक** बनाता है।
- इसमें **राष्ट्रीय तटीय और अंतर्देशीय पोत परिवहन रणनीतिक योजना** का प्रस्ताव किया गया है। यह योजना दीर्घकालिक नीति और अवसंरचना का रोडमैप प्रस्तुत करती है।
- इसमें **तटीय पोत परिवहन के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस** बनाने का प्रावधान है। इसका उद्देश्य निवेशकों और योजना बनाने वालों को मार्गदर्शन देने के लिए रियल टाइम आधार पर पारदर्शी डेटा प्रदान करना है।

शीलीड्स II प्रोग्राम (SheLeads II Programme)

हाल ही में **यूएन वुमेन** के प्रमुख क्षमता निर्माण कार्यक्रम 'SheLeads' के दूसरे संस्करण का भारत में अनावरण किया गया।

शीलीड्स (SheLeads) के बारे में

- इसका उद्देश्य **सार्वजनिक और राजनीतिक नेतृत्व में लैंगिक समानता को बढ़ावा** देना है, जिससे महिला चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित हों और नेतृत्व प्रदान कर सकें।

यूएन वुमेन के बारे में

- यूएन वुमेन **लैंगिक समानता को बढ़ावा देने वाली संयुक्त राष्ट्र की अग्रणी संस्था** है। इसकी **स्थापना जुलाई 2010** में हुई।
- इसका उद्देश्य **महिलाओं के अधिकारों, लैंगिक समानता** तथा सभी महिलाओं और लड़कियों के सशक्तीकरण को बढ़ावा देना है।
- **मुख्य फोकस क्षेत्र:**
  - नेतृत्व,
  - आर्थिक सशक्तीकरण,
  - हिंसा से मुक्ति, और
  - महिलाएं, शांति और सुरक्षा; साथ में मानवीय कार्यवाही।

स्टारफिश

एक रिपोर्ट के अनुसार **विब्रियो पेक्टेनिसीडा (Vibrio pectenicida)** नामक बैक्टीरिया के कारण **स्टारफिश** मर रही हैं।

- विब्रियो पेक्टेनिसीडा मनुष्यों में **हैजा** के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया से संबंधित है।

स्टारफिश के बारे में

- स्टारफिश समुद्री जीवों के एक बड़े समूह **इकाइनोडर्म्स (शूलचर्मी)** से संबंधित है। इन्हें सितारों जैसे आकार की वजह से **'सी स्टार'** भी कहा जाता है।
- **आहार:** ज्यादातर स्टारफिश **शिकारी** होती हैं। **मसल्स** और **क्लैम्स** जैसे **अकशेरुकी जीवों** का भक्षण करती हैं।
- **पुनर्जनन:** अधिकतर स्टारफिश प्रजातियां अपनी **क्षतिग्रस्त या खोई हुई भुजाओं को फिर से उगा** सकती हैं।
- **परिसंचरण तंत्र:** इनमें रक्त नहीं होता। इनके शरीर में पोषक तत्वों और ऑक्सीजन का परिवहन **जल संवहनी तंत्र** के माध्यम से **समुद्री जल द्वारा** होता है।
- **पारिस्थितिकी तंत्र में भूमिका:** समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के ये महत्वपूर्ण शिकारी हैं। इस तरह ये प्रजातियों के संतुलन को बनाए रखने में योगदान करते हैं।

निकल-तांबा-प्लेटिनम समूह तत्व (Ni-Cu-PGE) सल्फाइड

छत्तीसगढ़ के **महासमुंद जिले** के **भालुकोना-जमनीडीह ब्लॉक** में भारत में पहली बार **निकल-तांबा-प्लैटिनम समूह तत्व (Ni-Cu-PGE) सल्फाइड** की खोज की गई।

Ni-Cu-PGE के उपयोग

- **निकल:** स्टेनलेस स्टील, मिश्र धातुओं, और खासकर **इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EVs)** की बैटरियों में इस्तेमाल होता है।
- **तांबा:** विद्युत वायरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लंबिंग, निर्माण कार्य में उपयोग होता है।
- **PGE:** उत्प्रेरक, आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक्स, और हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक में।

रणनीतिक मूल्य

- ये खनिज **स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स,** और **रक्षा क्षेत्रक** के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए यह खोज **एनर्जी ट्रांजिशन** के लिहाज़ से बड़ी उपलब्धि है।

वर्जिन पॉलिमर्स

एक अध्ययन के अनुसार भारत चार **'वर्जिन पॉलिमर्स' के उत्पादन में 4% का योगदान** देता है। इनका **शीर्ष उत्पादक चीन** है।

वर्जिन पॉलिमर्स के बारे में

- **वर्जिन पॉलिमर** वह प्लास्टिक सामग्री होती है जिसे **प्राकृतिक गैस या कच्चे तेल** जैसे **कच्चे पेट्रोकेमिकल स्रोतों** से सीधे तैयार किया जाता है। इस तरह की **प्लास्टिक सामग्री का पहले कोई उपयोग या प्रोसेस** नहीं हुआ होता है।
- **उदाहरण:** पॉलीइथाइलीन (PE), पॉलीप्रोपाइलीन (PP), पॉलीइथाइलीन टेरेफ्थेलेट (PET), पॉलीस्टाइरीन (PS), पॉलीकार्बोनेट (PC)।
- **उपयोग:** पैकेजिंग सामग्री, ऑटोमोटिव कम्पोनेंट्स, वस्त्र, चिकित्सा उपकरण और उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण में, इत्यादि।
- **लाभ:** इनमें एक समान गुण होते हैं, **अशुद्धियां नहीं** पाई जाती हैं, और बेहतर यांत्रिक मजबूती प्रदान करते हैं।
- **चिंताएं:**
  - इन्हें पर्यावरण के लिए हानिकारक माना जाता है,
  - रीसाइकल्ड पॉलिमर की तुलना में इनका कार्बन फुटप्रिंट अधिक होता है,
  - उत्पादन के लिए गैर-नवीकरणीय जीवाश्म संसाधनों पर निर्भर है, आदि।

सुर्ख़ियों में रहे स्थल

टुवालू (राजधानी: फुनाफुटी)

समुद्र के बढ़ते जल स्तर से उत्पन्न खतरे को देखते हुए टुवालू ने **ऑस्ट्रेलिया** के साथ 2023 में **'फालेपिली यूनियन ट्रीटी'** पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते के तहत हर साल 280 टुवालूवासियों को ऑस्ट्रेलिया में स्थायी निवास का अधिकार प्रदान किया जाएगा।

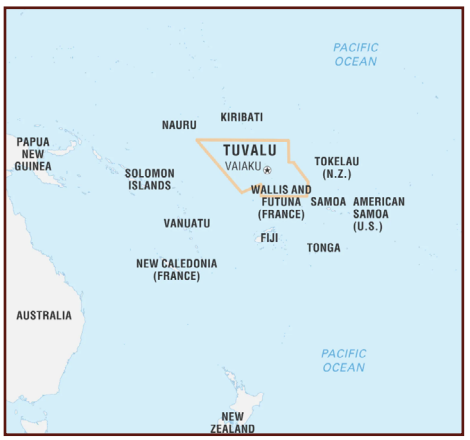

भौगोलिक अवस्थिति

- टुवालू को पहले **एलिस द्वीपसमूह** कहा जाता था। यह **दक्षिण प्रशांत महासागर** में स्थित है। यह **हवाई द्वीप और ऑस्ट्रेलिया के बीच** दोनों के लगभग बराबर दूरी पर स्थित है।
- यह **नौ द्वीपों से मिलकर** बना है। इनमें **चार रीफ द्वीप** और **पांच कोरल एटोल्स** शामिल हैं।
- **नानुमाइया** टुवालू का सबसे उत्तरी द्वीप है। यह एक **टू एटोल** है तथा इसमें **पांच द्वीप** हैं।

भौगोलिक विशेषताएं

- **जलवायु: उष्णकटिबंधीय, लेकिन व्यापारिक पवनों** से संतुलित रहती है।
- **पर्यावरण से जुड़े संकट:** समुद्र के जल स्तर में वृद्धि, मृदा में लवणता का बढ़ना आदि।